

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/नि0सं0-73/2024-

/स्वा0 पटना, दिनांक :

डा0 अंजली लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, मंडल कारा, हाजीपुर द्वारा दिनांक 22.10.2025 से 28.10.2025 तक की गई विदेश (थाईलैण्ड) यात्रा का घटनोत्तर स्वीकृति इस निदेश के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में कभी भी बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करेंगी।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक

10 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

06/01/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र0), गृह विभाग(कारा), बिहार, पटना/अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर/ डा0 अंजली लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, मंडल कारा, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि विभागीय प्रशाखा-2, 9, एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wm, K 11/26  
सरकार के उप सचिव